

तारीख हुक्म 12/2025	अनवार वी.पी. सिंह vs लखत न्याया 136 LRA प्र.सं. 332/25 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	2 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अनर्गत 136 LR के अनर्गत पेश कर प्रेषित किया गया है कि चक 18NDR खाला सं. 8/5 में प्रार्थी पिता का नाम पालाराम दर्ज है जो दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 का पालाराम के स्थान पर पालाराम उर्फ राजू दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का आदेश पारित किये जावे।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया गया व तहसीलदार हुस्मानगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसील पत्रांक 14R/3733 द्वारा डिक 6-11-25 द्वारा प्रेषित कराया गया है कि पालाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पालाराम उर्फ राजू किया जाना उचित है।</p> <p>अतः तहसीलदार हुस्मानगढ़ की अनुशंसा, प्रार्थी राशन कार्ड, तहसील रिपोर्ट ग्राम पंचायत मुन्गावाली डाकरी के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हुस्मानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 18NDR खाला सं. 8/5 में दर्ज खातेदार प्रार्थी सं. वी.पी. सिंह के पिता का नाम पालाराम की जगह पालाराम उर्फ राजू दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की प्रकृत कोपिल कपतर की जाती है।</p>	

सहायक कलक्टर
जय प्रकाश चौधरी
मुन्गावाली